(वाद सं०–2689/4/20/2022)

02.05.2023

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, नागेश्वर पासवान, के ग्राम–बरियाही, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा स्थित मकान पर बिजली विभाग द्वारा BPL मीटर लगाने तथा उसके विरूद्ध गलत रूप से मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–38/2021 संस्थित किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **North Bihar Power Distribution Company Limited, Patna** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **उप महाप्रबंधक, North Bihar Power Distribution Company Limited, पटना** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों के जांच हेतु त्रिसदस्यीय जाँच कमिटी गठित की गई, जिसके द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिस कारण उसका विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया एवं परिवादी द्वारा बकाया राशि एवं पुनः विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु आर०सी० जमा किये बिना ही विद्युत का उपयोग करते हुए पाये गये, जिसके पश्चात् परिवादी पर बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लगाये गये सभी आरोपों को मनगढ़ंत निराधार एवं सत्य से परे बताया गया है, जिसका उसके पास किसी तरह का साक्ष्य/प्रमाण नहीं है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में मुरलीगंज थाना काण्ड संख्या–38/2021 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा परिवादी को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्यों के साथ राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने

हेतु दो–दो बार नोटिस निर्गत किया गया, लेकिन वह राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रसंगाधीन मामला एक आपराधिक काण्ड को निरस्त करने से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

परिवादी अगर चाहे तो इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विधि अनुसार याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष हेतु याचना कर सकते है। राज्य आयोग के स्तर से प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से इसे मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के **उप महाप्रबंधक, North Bihar Power Distribution Company Limited, पटना** के प्रतिवेदन (पृष्ठ 11–03/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

निबंधक